

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/10/2016

क्रमांक एफ-5/5/2016/58

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

---0000---

मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 15 जून 2016 के निर्णय के पालन में मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में जोड़े जाने की स्वीकृति वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पत्र 1892/921/2016/ए-11 दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रदान की गई है। वित्तीय सहायताओं के लागत पूंजी अनुदान घटक के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. **लागत पूंजी अनुदान:-** खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु प्लांट एवं मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश का 25 प्रतिशत लागत पूंजी अनुदान उपलब्ध होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा राशि रु 2.50 करोड़ होगी। यह सहायता रु 25 करोड़ तक निवेश करने वाली इकाइयों के लिये उपलब्ध होगी, परन्तु अधिकतम अनुदान रु 2.50 करोड़ से अधिक नहीं होगा।
2. अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन www.mphorticulture.gov.in पर किया जा सकता है।
3. **पात्रता:-** लागत पूंजी अनुदान सहायता हेतु पात्रता/अपात्रता का विवरण निम्नानुसार है:-
पात्र उद्योग: फल, सब्जी, दुग्ध, मत्स्य, मांस, अण्डा, दाल, चावल, आईल मिलिंग उपभोक्ता उत्पाद एवं अन्य कृषि/उद्यानिकी क्षेत्र के खाद्य उत्पाद यथा सुगंध, कलर, आलियोरेजिन, मसाला, नारियल, मशरूम, वाईन, एवं अन्य ऐसे उत्पाद जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हैं।
पात्र संस्थाएं: उद्यमी, निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां एवं सहकारी संस्थाएं।

अपात्र इकाईयां:- यह सहायता पैकड ड्रिंकिंग वाटर, साफ्ट ड्रिंक, गेहू से आटा बनाने वाली इकाईयाँ, सोयाबीन तेल उत्पादन इकाईयाँ और बालाघाट जिले में धान प्रसंस्करण इकाईयाँ पर लागू नहीं होगी।

अपात्र सिविल कार्य: कम्पाउन्ड वाल, एप्रोच रोड, प्रशासकीय भवन, रेस्ट रूम, लेबर रूम एवं भवन, सेनेटरी रूम एवं गार्ड रूम।

अपात्र मशीनरी एवं अन्य मद: फ्यूल, कन्स्यूमेबल स्पेयर्स, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स जो मशीनों पर माउन्टेड नहीं हैं, कम्प्यूटर एवं फर्नीचर, वाहन, मशीनों की स्थापना व्यय, सेकेन्ड हेण्ड/पुरानी मशीनरी/नवीनीकृत की गई मशीनें, सभी प्रकार के सर्विस चार्जस एवं परिवहन चार्ज, मशीनों के पेटिंग पर किया गया व्यय, क्लोज सर्किट टी वी, कैमरा एवं सहायक यंत्र, कन्सलटेंसी फीस एवं स्टेशनरी आयटम।

4. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया: संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर बैंकों से मूल्यांकित एवं ऋण पोषित परियोजनाओं से लागत पूंजी अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जाएंगे। हितग्राही द्वारा योजना अवधि में आवेदन कभी भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात निम्नानुसार दस्तावेज की हार्डकापी संलग्न किया जाना आवश्यक है:

- 4.1. ऑनलाईन आवेदन की प्रिंट
- 4.2. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
- 4.3. बैंक द्वारा स्वीकृत सावधिक ऋण का पत्र
- 4.4. बैंक द्वारा जारी अप्रेजल रिपोर्ट
- 4.5. परियोजना के तहत प्लांट एन्ड मशीनरी के कोटेशन
- 4.6. प्रोसेस फ्लोचार्ट- व्यवसायिक उत्पादन की संभावित तिथि
- 4.7. तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की स्थिति में विगत 3 वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन एवं आडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउन्ट
- 4.8. राशि रु 100/- के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पर परिशिष्ट-1 अनुसार प्रमाण पत्र कि " आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु राज्य शासन अथवा भारत सरकार से पूर्व में कोई अनुदान नहीं लिया गया है और न ही आवेदक द्वारा इस परियोजना हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से अनुदान हेतु आवेदन किया गया है।"

5. आवेदनों के परीक्षण एवं स्वीकृति- आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आवेदनों का परीक्षण कराकर स्वीकृति जारी की जायेगी।

6. अनुदान के वितरण की प्रक्रिया:-

6.1. अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान निम्न अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर किया जायेगा:-

6.1.1 बैंक का 50 प्रतिशत सावधिक ऋण वितरण का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 अनुसार

- 6.1.2 नोटोराईज्ड स्ट्रिटी बांड- राशि रू 100/- के नान ज्यूडिसिअल स्टाम्प पेपर पर परिशिष्ट-3 अनुसार
- 6.2. अनुदान की द्वितीय किशत का भुगतान निम्न अभिलेखों के प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जाएगा -
- 6.2.1 इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने एवं अनुदान की प्रथम किशत का उपयोग कर लिये जाने संबंधी घोषणा पत्र एवं प्रमाण
- 6.2.2 बैंक का 100 प्रतिशत सावधिक ऋण का वितरण एवं प्रथम अनुदान की किशत का उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र परिशिष्ट-4 अनुसार

7. **परियोजना पूर्णता की अवधि:**

परियोजना को स्वीकृति दिनांक से 12 माह के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि 12 माह में परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तब 06 माह की अवधि वृद्धि संचालक द्वारा इस शर्त पर दी जावेगी कि द्वितीय किशत की राशि का 10 प्रतिशत के बराबर कटौती कर अनुदान भुगतान किया जाएगा। विलम्ब यदि 18 माह से अधिक होगा तब द्वितीय किशत की 20 प्रतिशत राशि के बराबर अनुदान कटौती कर भुगतान किया जाएगा। 2 वर्ष में परियोजना पूर्ण न करने पर द्वितीय किशत का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:**

8.1 संचालनालय द्वारा स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु एक ऑनलाईन सिस्टम विकसित किया जाएगा। परियोजना का भौतिक सत्यापन आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

8.2 कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी/एजेंसी द्वारा किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।



(अशोक बर्णवाल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ-5/5/2016/58

भोपाल,दिनांक 20/10/2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रोषित
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल

 20-10-16

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

On non-judicial stamp paper of Rs. 100/-

**Affidavit
[As per GFR-209(1)]**

I S/o Resident of Director/
Proprietor of M/s do here by solemnly affirms and state as follows:

- (a) That organization's sister concern (s)/ inter connected company/Group company as well as the applicant company itself has not obtained any financial assistance for a food processing project in the past from GOI/M.P. Govt.
- (b) That the organization has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy from GOI / M.P. Govt. for the same purpose/activity /same components.

Deponent

Verification:

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence verified at (Place) on (Date)

Deponent

Notary Seal& Signature

(Letter Head of the Bank)

Certificate

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s (Name and address of the organization) for Capital Subsidy as per guidelines of the scheme and also sanctioned term loan of Rs.lakh (if applicable).
2. It is further certified that we have released Rs..... lakh (50% of sanctioned term loan) to M/s..... (Name and address of the organization).

(Signature)
(Name)
(Branch Manager)
(Branch IFSC Code)

Director ,
Horticulture and
Farm Forestry
Madhya Pradesh

SURETY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s _____, a _____ (Type of organization) incorporated / registered under the _____ (Name of the Act) and having its registered office at _____ (hereinafter called the "Obligors") are held fully and firmly bound to the Governor of State _____ (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs. _____ (Rupees only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the _____ day of _____ in the year Two Thousand

_. WHEREAS on the Obligors' request, the Government as per Sanction Order No. _____ Dated

_____ (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as Annexure-I, agreed to make in favour of the Obligors grants-in-aids-in-aid of Rs. _____ (Rupees _____ only) for the purpose of _____ (description of the project) at _____ Rs. _____ (Rupees _____ only) have been paid to the Obligors (the receipt of which the Obligors do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligors executing a bond in the terms and out of which the sum of manner contained hereinafter which the Obligors have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligors duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligors will abide by the terms & conditions of the grants-in-aid by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligors shall not divert the grants-in-aids and entrust execution of the Scheme or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligors shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligors individually and jointly will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grants-in-aid with interest of 10% per annum thereon. If a part of the grants-in-aid is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

The Obligors agree and undertake to surrender / pay the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for which the grants-in-aid was intended of the property) buildings created / acquired constructed largely from out of the grants-in-aid sanctioned by the State Government of _____, or the administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered / paid to the Government, the decision of the Government will be final and binding on the Obligors.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Chief Secretary to the State Govt. of _____ on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligors and

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligers the day herein above written in pursuance of the Resolution No. _____ Dated _____ passed by the governing body of the Obligers, a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and by _____ for and on behalf of the Governor of State _____ on the date appearing below:-

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY
Signed for and on behalf of
(Name of the Obliger in block letters)
(Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness
Name & Address

2. Signature of witness
Name & Address

TO BE FILLED UP BY THE Directorate of Horticulture and
Farm Forestry (ACCEPTED)
For and on behalf of the Governor of State _____

Name: _____
Designation: _____
Dated: _____

Notary Seal & Signature

(Letter Head of the Bank)

Certificate

Certified that this bank has released 100% of term loan (if applicable) sanctioned i.e. Rs.....lakh and also 1st instalment of grant of Rs. lakh released by the Directorate of Horticulture and Farm Forestry vide sanction order No. Dated..... to M/s (Name and address of the organization), which has been credited in account number..... of the firm.

(Signature)
(Name)
(Branch Manager)
(Branch IFSC Code)

Director ,
Horticulture and Farm Forestry
Madhya Pradesh